अनशन की शक्ति

"किसी भी संगठन में विभिन्न हितधारक (स्टेकहोल्डर्स) होते हैं(हमारे संस्थान में वे संकाय सदस्य, अधिकारी स्टाफ सदस्य, छात्र, बोर्ड के सदस्य, मानव संसाधन मत्रालय (एमएचआरडी) के प्रतिनिधि थे। प्रत्येक को अलग-अलग उम्मीदें और जानबूझकर या अन्यथा बनाई गई समस्याएं थीं, जो मुझे देखनी और हल करनी पड़ती थी। उन्हें संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल होता था । सौभाग्य से आमतौर पर कई समस्याएं एक ही समय में नहीं आती थी " निदेशक ने कहा।

"निदेशक की हैसियत में चार साल पूरे होने पर मैं खुश था । विभिन्न बाधाओं के बावजूद संस्थान प्रगति कर रहा था। और हम सभी हितकारकों और अधिकारियों को संतुष्ट रखने में सफल रहे थे, केवल कुछ अधिकारियों को छोड़कर, जो कि उन पदों की ऊप्रोन्नति (upgradation) की मांग कर रहे थे जो अस्तित्व में ही नहीं थे, और विभिन्न संस्थानों के निदेशकों द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद मानव संसाधन मंत्रालय उन पदों को उच्च स्तर प्रदान करने को तैयार नहीं था।

लेकिन एक सुबह हमें एक पूरी तरह अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसने हमें झटका दिया। हमने सुरक्षा और साफ़ सफाई रखने वाले ठेके के लिए विज्ञापन दिया । संसथान ने एक एजेंसी को छह साल पहले दोनों सेवाओं के लिए ठेका दिया था, जो तीन साल पहले मामूली वृद्धि पर नवीनीकरण के लिए सहमत हुई थी, लेकिन अब यह ठेका जारी रखने के लिए अनिच्छुक थी क्योंकि कर्मचारी मासिक मुआवज़ में 50% वृद्धि के लिए आंदोलन कर कर रहे थे । कथित तौर पर यह चार मुख्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं और कुछ संस्थान के अंदरूनी लोगों के इशारे पर हो रहा था । संस्थान के कर्मचारी संघ के कुछ पदाधिकारिओं ने पहले ही मुझे आगाह किया था कि "वे हमें आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं" । इसलिए हमने दो सेवाओं के लिए निविदाएं जारी कीं थी" , निदेशक ने आगे बताया ।

निविदाएं निमंत्रित की गईं । एक समिति का गठन किया गया जिसने अनुबंधों का मूल्यांकन करके एजेंसिओं चुनाव किया । समिति ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और दो, एजेंसिओं **एस 1** और **एस 2** को वार्तालाप का न्योता दिया गया, जिन्होंने क्रमशः सुरक्षा और सफाई/ रख रखाव सबसे कम मूल्य की निविदा भेजी थी। 5 लाख की कुल आबादी वाले एक छोटा सा शहर होने के नाते, पिछली एजेंसी ने आस पास के क्षेत्रों से कर्मचारी जुटाए थे। नई एजेंसियों को भी सुरक्षा गार्ड और सफाई/ रख रखाव कर्मचारिओं के लिए उन्ही पर निर्भर रहना पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें शहर के बाहर से लाना आसान नहीं था।

समस्या यह थी कि दोनों एजेंसियां (सुरक्षा और सफाई/ रख रखाव) सेवारत मौजूदा व्यक्तियों की संख्या 2/3 तक कम करने का प्रस्ताव कर रही थी। चार अलग-अलग राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के साथ जुड़े स्थानीय राजनेताओं की कथित तौर पर श्रमिक, मासिक भुगतान (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत शासित) में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमे खर्चे 10% कम करने की हिदायत दी गयी थी ।

हालांकि यह मुद्दा सुरक्षा सेवा प्रदाता के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यवस्थित हो गया था, जो कि सीआईएसएफ के एक पूर्व कमांडर की देखरेख में था , किन्तु सफाई/ रख रखाव सेवा एजेंसी (S2) के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा था, जिसमें स्थानीय स्तर पर एक (कमांडर की तरह का) अनुभवी एवं मजबूत पर्यवेक्षक नहीं था। प्रयोजन

के लिए नियुक्त एक युवा व्यक्ति को यूनियनों द्वारा परिसर में प्रवेश करने पर गंभीर परिणामों (प्राण लेने तक) की चेतावनी दी गई थी। समस्या सुलझ नहीं रही थी और कर्मचारिओं ने कुछ 15 दिनों तक काम नहीं किया। सफाई न होने से परिसर में बदबू फैलना भी शुरू हो रही थी ।

इसी दौरान, कुछ आतंकवादी हमलों के कारण, केंद्र सरकार ने परिसर में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को परिसर में प्रवेश न देने आदेश दे दिया था । चूँकि कर्मचारिओं को अभी तक औपचारिक रूप से नियुक्ति नहीं हुई थी, किसी भी सफाई/ रख रखाव कर्मचारी को प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सकता था ।

मामला गरमा चुका था और एक सुबह सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी ने घबराई आवाज़ में फ़ोन पर निदेशक को सूचित किया कि सभी सफाई/ रख रखाव करने वाले श्रमिक मुख्य द्वार पर इकट्ठे हुए है और चारों यूनियनों के सहयोगियों के साथ (जिनमें से कुछ आतंकवादी से लग रहे थे) ज़बरदस्ती गेट में प्रवेश करने की योजना बना रहे है। उन्होंने यह भी बताया कि रोष इतना है कि गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती है और संस्थान की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। स्थिति एकदम से बहुत गंभीर और नाज़ुक हो गयी थी और नियंत्रण से बाहर निकलती दिख रही थी।

एस 1 के एजेंसी कमांडर ने, जो निदेशक के साथ बैठे थे, स्तिथि देखते हुए यह सुझाव दिया कि गृह मंत्रालय से उस ***"ग्लास" परिसर*** को बचाने के लिए तुरंत दिल्ली से सीआईएसएफ पैराट्रूपर्स को हवाई जहाज द्वारा भेजे जाने का अनुरोध करना चाहिए। हमने अपने (मानव संसाधन) मंत्रालय से संपर्क किया, लेकिन उस दिन मंत्री और अधिकारियों से उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त के कारण संपर्क नहीं हो सका। फिर हमने केंद्रीय गृह सचिव को फैक्स भेज कर अनुरोध किया। गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ पैराट्रूपर्स तो नहीं भेजा, लेकिन राज्य सरकार के डीजीपी को तत्काल मदद देने के लिए अनुरोध किया। दोपहर तक क्षेत्र का आईजीपी परिसर में पहुंच गए। उन्होंने हमें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया और बताया कि पूरे परिसर में फैले लम्बे नारियल के पेड़ों और झाड़ियों के नीचे बंदूकें से लैस पुलिस वैन छिपा दिए गए हैं। इससे हमें स्थिति का सामना करने के लिए सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना मिली।

कुछ दिन इसी तरह कटे लेकिन निदेशक महसूस करते थे कि यह समस्या का स्थायी समाधान या निदान नहीं था। सामान्य स्थिति लाने के लिए **एस २** एजेंसी के साथ अनुबंध में गतिरोध को समाप्त किया जाना आवश्यक था।

सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी निदेशक से चार बाहरी प्रमुख संघों के नेताओं से बात करने के लिए कह रहे थे ताकि मामले पर बातचीत आगे बढ़ सकें। निदेशक अनिच्छुक थे क्योंकि उनके अनुसार निविदानुसार **एस २** एजेंसी को ठेका देने बाद इसका कोई औचित्य/ अधिकार ही नहीं था **एस 2** एजेंसी की ओर से बातचीत करने के लिए । हालांकि, समाधान निकलने के लिए वे क्षेत्र के नागरिक के रूप में संघों के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तैयार थे। सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी एक दिन यह बात संघों के नेताओं को बताई और वह तैयार हो गए । अगले दिन निदेशक का सभी संघों के नेताओं मिलना तय हुआ ।

"मुझे सुबह 11 बजे से शाम के ५ बजे तक हुई बातचीत में शुरू तीन दुभाषिए बदलने पड़े क्योंकि मुझे स्थानीय भाषा नहीं आती थी और संघों के नेताओं को अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती थी जिसे मैं जानता था"। समाधान खोजने में मुश्किल था क्योंकि संघ के नेता सभी कर्मचारिओं के एजेंसी के साथ अलग-अलग निजी

रोज़गार समझौतों पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थे, जो **एस २** एजेंसी की एक संस्थान पालिसी थी। यूनियन नेता चाहते थे कि मुझे यह गारंटी भी देना चाहिए कि कोई भी मौजूदा कर्मचारी नहीं हटाया जाएगा, जो मैं सहमत नहीं हो सकता था । इसके अलावा, अनुबंध में दो शर्तें थी, एक अनुशासनहीनता को हटाने से संबंधित और दूसरी कि यदि आवश्यक हो आवश्यकता से अतिरिक्त कर्मचारियों में से कुछ को शहर में एजेंसी के दूसरे संस्थानों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, । मैं इससे भी सहमत नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था", निदेशक ने कहा।

यह गतिरोध 3 घंटे तक जारी रहा । दोपहर 2 बजे मेरे कार्यालय के सहायक ने मुझे के भोजन के लिए याद दिलाया। मैंने उसे इंतजार करने को कहा। शाम 3 बजे उसने फिर से पूछा और कार्यालय में ही का भोजन की व्यवस्था कर दी। 4 बजे संघ के नेताओं ने मुझसे दोपहर के भोजन के लिए अनुरोध किया। शाम 5 बजे उन्होंने फिर से पूछा। मैंने पूछा कि क्या उन्होंने भोजन कर लिया था। उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। 5.30 बजे उन्होंने फिर से अनुरोध किया। मैंने कुछ उदास हो कर पूछा "चालीस कर्मचारिओं ने, जिन्होंने 6 साल तक संस्थान की सेवा की है, दोपहर का भोजन नहीं लिया है, और आप, जो उन सभी का प्रतिनिधित्व करने का करते हैं, दोपहर का भोजन ले चुके हैं? यह भोजन मुझसे निगला नहीं जायेगा। मुझे खेद है मैं यह नहीं कर पाउँगा" निदेशक ने कहा।

शाम 6 बजे सभी 4 नेताओं ने झुकते हुए कहा, "हम सभी बातों पर आपसे सहमत हैं हमें आप पर भरोसा है कि आप किसी का अहित नहीं होने देंगे, लेकिन एक अनुरोध करना चाहते हैं। कृपया श्रमिकों से मिलें और उन्हें बताएं कि **एस २** एजेंसी प्रस्तावित मानवशक्ति में कमी करने के लिए उन्हें बर्खास्त नहीं करेगी । सभी कर्मचारी व्यक्तिगत समझौतों पर भी हस्ताक्षर करेंगे। मुआवजे में 50% वृद्धि की मांग भी नहीं होगी। उन सभी को आप पर विश्वास है। कृपया किसी भी प्रशासनिक स्टाफ को नहीं बताएं। और लंच लें "।

"मैं श्रमिकों से मिलने पर सहमत हो गया लेकिन नेताओं को यह स्पष्ट कर दिया कि मैं केवल **एस २** एजेंसी से अनुरोध करूँगा कि ऐसा न करें" निदेशक ने कहा।

अगले दिन सुबह 8 बजे (9 बजे कार्यालय खुलनेसे पहले) सभी लोग संस्थान के पिछले भाग में बने नए डाइनिंग हॉल के शीर्ष तल पर इकट्ठे हुए । प्रत्येक ने व्यक्तिगत समझौतों पर हस्ताक्षर किए, सुरक्षा पास लिया, चाय का एक प्याला भी और संस्थान कार्यालय खोलने पर 9 बजे ड्यूटी शुरू किया।

"गोलियों और बंदूकों के मुकाबले एक भोजन त्यागने कि शक्ति का मुझे कभी एहसास नहीं था। लेकिन अब कल्पना कर सकता हूँ कि गांधीजी के "अनशन" की शक्ति का, जिसने भारत की स्वतंत्रता में अछुण्य योगदान दिया था।" निदेशक ने बात समाप्त की।

लेखक ने पूछा: "क्या आज की भारतीय परिस्थितियों में अनशन उपयोगी/ कारगर हथियार रह गया है?"

निदेशक मुस्कुराए और बोले : "आप ही बताए"।